

फद अहकाम

(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़वा

दीपचन्द बनाम हिरालाल वंश

मुकदमा नं _____ सन् _____

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।</p>
-----------------------	--	---

3-21

परावली पेश हुई। उक्तानी वाड पर वकील यसकारान की आपसी सहमति से प्राथमिक डिक्ली किया जा रहा है। अप्राथमिकता द्वारा प्रार्थना पर अस्वाई क्रिषेधाशा में जाकर प्रार्थना पर पेश नहीं किया। अप्राथमिकता का जाकर प्रार्थना पर हट किया जा रहा है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी के गौकिसला रावा अन्तरिम अस्वाई क्रिषेधाशा को स्पार्ई (confirm) किये जाने का क्रिबेदन किया। परावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पर अस्वाई क्रिषेधाशा में वर्णित नब्बो से प्रार्थी का प्रथम इस्सुया मामला प्रतीत होता है। सुबिधा का सेहलन व अपूरणीम सति के बिन्दु भी प्रार्थी के हक में जा रहे हैं। अगर प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्वाई क्रिषेधाशा को अपास्त (Vacate) कर दिया जायेगा तो वे अपने हक-अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्वाई क्रिषेधाशा दिनांक 17.8.2020 को गौकिसला रावा स्पार्ई (confirm) किया जा रहा है। परावली के सब श्रुतार लेकर नम्बर से कम की जाकर वाड तकमील जायता दखील इस्तर है।

↓
उपखण्ड अधिकारी, 